राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 929/2007
अतुल कुमार जैन

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बस्सी, जिला जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 07.02.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय दत्त शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 08.05.2007 (अनुलग्नक–6) को चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति को निरस्त करते हुए अपीलार्थी को पंचायत प्रसार अधिकारी के पद से पदावन्नत करते हुए ग्राम सेवक के पद पर पदस्थापित किया गया था।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता का कथन है कि वर्तमान में उक्त आलोच्य आदेश के पश्चात अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जा चुका है। ऐसे में अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष अपीलार्थी को प्राप्त हो चुका है।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से दिये गये उपरोक्त अभिकथनों से इस अपील में अब कोई सार शेष नहीं रहता है। अतः यह अपील सारहीन हो जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)